बजरंगी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस दर्ज

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज को खुलेआम गालियां देने और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने पर बिट्टू बजरंगी के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की हैं। ये एफआईआर पुलिस ने खुशी से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी गर्दन फंसने से बचाने के लिए की हैं, यदि पुलिस सच में गंभीर है तो ठोस सुबूत वाली इन एफआईआर पर कार्रवाई भी करे।

धर्म के नाम पर दूसरे मजहब और उसके अनुयायियों के खिलाफ भड़काऊ बयान (हेट स्पीच) देने का ट्रेंड बीते सात आठ वर्षों में तेजी से फैला है। हेट स्पीच की घटनाओं पर कार्रवाई करने में राज्यों की निष्क्रियता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अनेक याचिकाएं लंबित थीं। इन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2023 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हेट स्पीच के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। स्पष्ट आदेश था कि सांप्रदायिक आधार भड़काऊ बयान देने वाला जिस भी धर्म का हो, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बयानों पर पुलिस खुद संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करे। इसके लिए किसी की तरफ से शिकायत दाखिल होने का इंतज़ार न किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई करने में कोताही को अवमानना माना जाएगा।

बिट्टू बजरंगी भी बीते कई वर्षों से न केवल धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले भड़काऊ भाषण दे रहा था, वह दूसरे धर्म के आस्था स्थलों पर हनुमान चालीसा का पाठ करने, भीड़ के साथ धार्मिक नारे लगाने आदि आपत्तिजनक कदम उठाता रहा है। राजनीतिक संरक्षण के कारण पुलिस की हिम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई करने की नहीं होती थी। यहां तक कि यदि कोई पीड़ित केस दर्ज कराता तो बिट्टू या उसके गुर्गों की ओर से भी पीड़ित के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज कराया जाता। इतने केस होने के बावजूद पुलिस ने आज तक बिट्टू को गिरफ्तार नहीं किया।

बिट्टू बजरंगी बीते कई दिनों से लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भड़काऊ बयान वाले वीडियो अपलोड कर रहा है। यह वीडियो पुलिस के आला अधिकारियों ने भी देखे। ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट तक न पहुंच जाएं और जवाब तलब कर लिया जाए यह सोचकर आला अधिकारियों ने आनन-फानन बिट्टू बजरंगी के खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए। ईद के एक दिन पहले बिट्टू और उसके साथियों ने खोरी जमालपुर निवासी जमात अली और इरफान की गायें, बकरी, गधे आदि लूट लिए थे। यह घटना सोशल मीडिया पर छाई रही, इसी बीच बिट्टू ने आपत्तिजनक भड़काऊ वीडियो अपलोड कर दीं। मजबूर होकर उसके खिलाफ मुजेसर और सारन थाने में केस दर्ज किए गए।

सवाल यह है कि खट्टर की पुलिस ऐसे गुंडे के साथ कब तक एफआईआर-एफआईआर खेलती रहेगी? ये तो एक तरह से एफआईआर का मजाक बन कर रह गया है संघ की ओर से सांप्रदायिक जहर फैलाने का ठेका उठाए ये बिट्टू कहता फिरता है क्या फर्क पड़ता है एफआईआर दर्ज करने से, सरकार तो अपनी ही है। मजे की बात तो यह है कि इतने केस दर्ज होने के बावजूद इसका हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि यह डीसीपी एनआईटी के दफ़्तर में अपने गुंडा गिरोह के साथ जाकर अपनी सुरक्षा की मांग करता है यानी कि जब ये गुंडागर्दी करे और जनता द्वारा इसके पिटने की नौबत आ जाए तो पुलिस इसका संरक्षण करे। जो भी हो डीसीपी एनआईटी नरेंद्र कादयान ने इस पूरे गुंडा गिरोह को अच्छी तरह हिंदी में समझा दिया कि अपने घर चले जाओ चुपचाप, जो खुद जनता की सुरक्षा के लिए खतरा हो उसे पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती।

हथियारों के बल पर लूटी गईं गायें, नहीं लगाई लूट/डकैती की धारा

बिट्टू बजरंगी पर मेहरबान है पुलिस-प्रशासन

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) सामाजिक एकता के लिए खतरा बन चुके राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी के खिलाफ पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिए लेकिन उसके खिलाफ लगाई गई धाराएं ही बताती हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बिट्टू को गिरफ्तारी से बचाया जा सके इसलिए कारण होने के बावजूद पुलिस ने ऐसी धाराएं लगाईं जिनमें सात साल से कम की सजा हो।

धौज थाने में दर्ज एफआईआर में पीड़ित जमात अली और इरफान ने स्पष्ट बताया है कि बिट्टू बजरंगी अपने साथी गोपाल, पंकज जैन, अनूप, मोनू, सतेंद्र और मोनू खटाना सहित 50-60 साथियों के साथ हथियारों से लैस था। हथियार से लैस बिट्टू बजरंगी और उसके साथियों ने उनके बच्चों को डरा धमका कर उनसे लगभग साठ गायें और 17-18 बकरियां छीन लीं और अपने साथ ले गए। पुलिस ने जानबूझ कर लूट यानी आईपीसी की धारा 392, 395 नहीं लगाई। इनके अनुसार यदि कोई किसी व्यक्ति को डरा धमका कर जिसमें जान जाने का भय हो उसका सामान छीनता है तो यह लूट है इसमें दस वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। सत्ता के संरक्षण में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले संगठनों के दबाव में पुलिस हथियारों के बल पर गाय-बकरियां छीने जाने को छिपा गई। पुलिस ने लूट की घटना को तीन केवल दो साधारण धारा 506 यानी जान से मारने की धमकी देना और आर्म्स एक्ट की दफा 25 यानी अवैध हथियार रखना में दर्ज किया। साफ दिख रहा है कि बिट्टू और उसे गुर्गों ने इन बच्चों से हथियारों के बल पर लूट की लेकिन धार्मिक उन्मादियों के आगे नतमस्तक पुलिस ने वही किया जो आकाओं ने बताया।

पुलिस ने तहरीर में लिखवाया कि छीनी हुई गायें-बकरियां ये लोग खोरी जमालपुर गांव से पैदल और गाड़ियों में ले गए। बता दें कि घटना के समय न तो जमात अली मौके पर मौजूद थे और न ही इरफान, लूट तो उनके बेटों से की गई थी। पुलिस ने बिट्टू को बचाने के लिए तहरीर में ये दर्ज किया कि बिट्टू और उसके साथ धौज में हथियारों से लैस होकर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले नारे लगाते हुए निकले। इस आधार पर आईपीसी की धारा 147 और 148 भी लगाई गई।

बिट्टू बजरंगी : भाजपा सरकार का पालतू दंगाई

ऑर्म्स एक्ट की दफा 25 के तहत, जिसमें तीन वर्ष से सात वर्ष तक कारागार का प्रावधान है, पुलिस आए दिन एक-दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजती रहती है लेकिन बिट्टू बजरंगी और उसके गुर्गों को तलाशने की भी हिम्मत पुलिस नहीं कर रही है। इधर बिट्टू बजरंगी अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक आदि पर आए दिन मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर बुझे वीडियो अपलोड करता रहता है। यही नहीं किसी भी घटना को हिंदू मुसलमान की नजर से देख कर वीडियो मैसेज के जरिए तुरंत ही अन्य साथियों को मौके पर पहुंचने का आह्वान करता है। कानून व्यवस्था के लिए चुनौती साबित हो रहे ये जहरीले संदेश पुलिस भी देखती है लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उसके सामने हाथ जोड़ कर मिन्नतें करती नजर आती है। वह खुलेआम पुलिस को धमकी देता है कि फलां जगह उसके पहुंचने से माहौल खराब हो जाएगा लेकिन फिर भी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती।

लगता है पुलिस अब कानून के आधार पर नहीं भीड़तंत्र के आधार पर कार्रवाई करती है। किसी भी घटना में हिंदू-मुसलमान करते हुए पहुंचने वाले बिट्टू बजरंगी के कहने पर पुलिस तुरंत ही केस दर्ज करती है और अगर विरोधी मुसलमान हों तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने में भी देर नहीं करती।

बीके अस्पताल: उपचार के नाम पर फैला रहा टीबी

बीके अस्पताल की ओपीडी में आम मरीजों के साथ ही संक्रामक रोग टीबी के मरीजों को भी लाइन में लगाया जा रहा

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) सीएमओ और पीएमओ के गलत निर्णय के कारण बीके अस्पताल की ओपीडी में रोजाना आने वाले सैकड़ों मरीजों पर टीबी संक्रमित होने की आशंका है। संक्रामक टीबी के मरीज भी ओपीडी में अन्य मरीजों के साथ लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ऐसे में 2025 तक देश टीबी मुक्त हो या न हो लेकिन उद्योग नगरी में इसके मरीजों की संख्या बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।

टीबी फैलाने वाला माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया बहुत ही संक्रामक होता है। यह संक्रमित मरीज के बात करने, खांसने, छींकने, थूकने आदि से हवा में फैल कर सामने वाले व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। संक्रमण रोकने के लिए जिलों में अलग से टीबी अस्पताल, या इमारत में इसकी जांच, इलाज, दवा बांटने की व्यवस्था की जाती है। इसके विपरीत बीके अस्पताल में प्रबंधन ने टीबी के मरीजों की ओपीडी भी सामान्य मरीजों के साथ कमरा नंबर छह में की है। इसी कमरे में उनके साथ सांस और फेफड़े की समस्या से जूझ रहे मरीजों को भी देखा जाता है। बीके अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक कमरा नंबर छह में रोजाना औसतन 190 से 220 मरीज देखे जाते हैं,

इनमें से साठ प्रतिशत मरीज टीबी के होते हैं। मालूम हो कि फेफड़े की समस्या से जूझ रहे मरीज के शरीर की रोग निरोधक क्षमता पहले से ही कम होती है ऐसे में टीबी के मरीजों के साथ उनका उठना बैठना उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इन मरीजों को अपनी बारी आने के लिए कमरे के बाहर लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। लाइन में अन्य मरीजों के बेहद करीब खड़े ये टीबी के मरीज दूसरों के संक्रमित होने की वजह बनते हैं। अन्य कमरों के बाहर भी मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है, टीबी संक्रमितों के बात करने या खांसने से इसके बैक्टीरिया हवा में फैल कर इन मरीजों को भी संक्रमित करते हैं।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 30 जून 2023 तक टीबी के 4488 मरीज थे। इनमें से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस (एमडीआर) मरीज 113 है जबकि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस (एक्सडीआर) मरीज छह हैं। सामान्य टीबी मरीजों से ज्यादा खतरनाक एमडीआर और एक्सडीआर संक्रमित मरीज होते हैं क्योंकि इनका इलाज बहुत ही लंबा और कष्टदायक होता है। इनसे फैलने वाला संक्रमण भी उतना ही खतरनाक होता है। जाहिर है कि ये मरीज भी परामर्श, जांच और दवा के लिए ओपीडी में ही अन्य मरीजों के साथ ही आते हैं। इन मरीजों का अन्य रोगियों के बीच रहना उन्हें जोखिम में डालना ही है।

सामान्य तौर पर टीबी के मरीजों के परामर्श, जांच, दवा और भर्ती करने के लिए टीबी अस्पताल या इमारत अलग होती है। इस अस्पताल या इमारत में अन्य बीमारियों का इलाज इसलिए नहीं किया जाता कि मरीज टीबी संक्रमित न हो जाए।

ऐसा नहीं है कि टीबी संक्रमण फैलने के खतरों से अस्पताल प्रबंधन वाकिफ न हो, बावजूद इसके सामान्य मरीजों के बीच उनकी ओपीडी क्यों रखी गई है, यह समझ के बाहर है। इस संबंध में प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ. सविता यादव ने बताया कि बीके में टीबी की ओपीडी चलाने का निर्णय सीएमओ के स्तर से लिया गया है।

सन 1950 में जब बादशाह खान अस्पताल का निर्माण किया गया तो उस समय संसाधनों की कमी के बावजूद टीबी का अस्पताल अलग से बनाया गया था, जाहिर है ये प्रावधान अस्पताल में आने वाले सामान्य मरीजों को टीबी संक्रमित मरीजों से बचाने के लिए ही किया गया था। लेकिन तथाकथित विकास एवं साधनों की बढ़ोत्तरी के बाद उस टीबी अस्पताल की इमारत में आज स्वास्थ्य विभाग के कुछ दफ्तर के स्टोर बना दिए गए हैं।

शासन प्रशासन ने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि टीबी अस्पताल समाप्त करने के दुष्परिणाम क्या होंगे। प्रशासन की इसी उदासीनता के चलते टीबी के सैकड़ों मरीज भी उसी ओपीडी हॉल में अपनी बारी के इंतजार में खड़े रहते हैं जिसमें सैकड़ों मरीज ठसाठस भरे रहते हैं। गौरतलब है कि इस हॉल में वेंटिलेशन न होने की वजह से हर समय दम घुटने की स्थिति बनी रहती है। इमारत तो बनाई थी एयरकंडीशन के हिसाब से जो कभी चला नहीं और अब लाले पड़ रहे हैं सांस लेने तक के। स्थानीय नेता, मंत्री यहां तक कि यदाकदा छापामार मंत्री विज भी यह सब देख कर जा चुके हैं लेकिन करने धरने को निल बटा सन्नाटा।